

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं
जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक
अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 04/03/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, उप
मुख्य शीर्ष-01- मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-02-स्वर्ण
रेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये
लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	49.205

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रुपये उनचास लाख बीस हजार पाँच सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट उपबंध रु. 19580.81 लाख (रु. एक सौ पंचानवे करोड़ अस्सी लाख एकासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि.) दि. 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

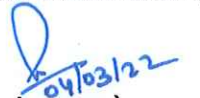



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

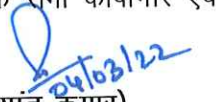

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 314

रॉची, दिनांक :- 04/03/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसाँवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 314

रॉची, दिनांक :- 04/03/22

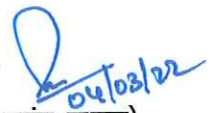
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बॉध परियोजना

पत्रांक 314 दिनांक 04/03/22 का अनुलनक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-02-स्वणरखा बाध परयाजना																	
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विरस्त शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें		विरस्त शीर्ष-02-यात्रा व्यय						विरस्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		विरस्त शीर्ष-04-मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मति		विरस्त शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एल०डी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परि० आदित्यपुर जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	219.000 0.000 219.000	1.000 0.000 1.000	1.200 0.000 1.200	1.000 0.300 1.300	0.450 0.100 0.550	0.200 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	1.300 0.600 1.900	0.000 0.000 0.000	224.150 1.000 225.150					
2	मुख्य अभियंता, योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन रॉदी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	40.000 16.000 56.000	0.000 0.000 0.000	1.100 0.000 1.100	1.700 0.300 2.000	0.200 0.000 0.200	0.025 0.000 0.025	0.000 0.000 0.000	1.600 0.000 0.600	0.000 0.000 0.000	16.300 60.925 81.575					
3	मुख्य अभि०, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान रॉदी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	80.000 0.000 80.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.650 0.000 0.650	0.150 0.000 0.150	0.025 0.000 0.025	0.000 0.000 0.000	1.000 0.400 1.100	0.000 0.000 0.000	82.225 0.650 144.330					
4	खरकई बांध अंचल, चालियामा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	141.980 0.000 141.980	0.000 0.000 0.000	0.400 0.100 0.500	0.650 0.000 0.650	0.100 0.000 0.100	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	1.100 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.100 144.430 105.350					
5	नहर एवं नहर सरचना रूपांकण अंचल-रॉदी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	104.000 0.000 104.000	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.300 0.300 0.600	0.100 0.000 0.100	0.050 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	0.300 105.650 151.725					
6	बराज अंचल-गालुडीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	149.500 0.000 149.500	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.750 0.200 0.950	0.150 0.000 0.150	0.125 0.000 0.125	0.000 0.000 0.000	0.800 0.000 0.800	0.000 0.000 0.000	0.200 151.925 279.320					
7	योजना एवं आयोजन अंचल, रॉदी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	273.000 0.000 273.000	0.000 0.000 0.000	2.000 0.000 2.000	1.800 0.000 1.800	0.150 0.000 0.150	0.170 0.050 0.220	0.000 0.000 0.000	1.200 0.000 1.200	0.000 0.000 0.000	0.050 279.370 279.370					

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रभात कुमार)
सचिव

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021-2022			विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं मरम्मत	विशि प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति									
		विपत्र कोड	49S270001001 02000101	49S270001001 02000112	49S270001001 02000213	49S27000100 102000315	49S270001001 02000333	49S27000100 102000334	49S270001001 02000337	49S27000100102 000442	49S27000100 102000760										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
8	योजना एवं मोनेटरिंग अवल-2 रॉबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	140.000 0.300 140.300	0.000 0.000 0.000	0.400 0.000 0.400	0.500 0.350 0.850	0.250 0.000 0.250	0.075 0.000 0.075	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	141.725 0.650 142.375									
9	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अवल-1 रॉबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	251.000 0.000 251.000	0.000 0.000 0.000	1.400 0.000 1.800	0.200 0.000 0.500	0.000 0.000 0.100	0.000 0.000 0.025	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.700	0.000 0.000 0.000	1.800 254.125 231.750									
10	उप निदेशक क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	229.000 0.000 229.000	0.200 0.000 0.200	0.400 0.000 0.400	0.600 0.150 0.750	0.100 0.000 0.100	0.350 0.000 0.350	0.000 0.000 0.000	1.100 0.400 1.500	0.000 0.000 0.000	232.300 0.550 312.950									
11	केंद्रीय मंडार एवं शिविर प्रमंडल - चांडिल	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	311.000 9.000 320.000	0.000 0.000 0.000	0.750 0.000 0.750	0.500 0.200 0.700	0.050 0.000 0.050	0.650 0.000 0.650	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.050 0.050	9.250 322.200 278.240									
12	खरकई लिंक नहर प्रमंडल मुसाबनी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	276.590 3.470 280.060	0.000 0.000 0.000	0.650 0.050 0.700	0.600 0.050 0.650	0.050 0.000 0.050	0.250 0.325 0.575	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	282.135 3.895 175.050									
13	पुनर्वास पदार्थ सं०-1 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	173.000 0.000 173.000	0.000 0.000 0.000	0.900 0.000 0.900	0.650 0.000 0.650	0.250 0.000 0.250	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.200 0.200	0.000 0.000 0.000	0.200 175.250 359.600									
14	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-2 चांडिल शिविर-झिमा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	358.000 0.000 358.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.870 1.170	0.250 0.200 0.450	0.050 0.000 0.050	1.000 0.000 1.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.070 328.825 360.670									
15	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-5 झिमा, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	327.100 0.000 327.100	0.200 0.000 0.200	0.300 0.870 1.170	0.550 0.150 0.700	0.050 0.000 0.050	0.525 0.000 0.525	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.100 0.000 0.100	329.845 1.020 329.845									

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021-2022		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपन्न कोड	वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्माति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
16	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-9 घाटशिला		338.000	0.000	0.500	0.650	0.100	0.550	0.000	1.100	0.300	341.200				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200				
		कुल आवंटन	338.000	0.000	0.500	0.850	0.100	0.550	0.000	1.100	0.300	341.400				
17	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-12 मानगो, जमशेदपुर		514.780	0.000	0.700	1.000	0.250	0.750	0.000	0.000	1.300	518.780				
		अतिरिक्त आवंटन	10.770	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.770				
		कुल आवंटन	525.550	0.000	0.700	1.000	0.250	0.750	0.000	0.000	1.300	529.550				
18	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर		546.300	0.000	0.800	0.600	0.150	0.675	0.000	0.000	4.900	553.425				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.200	1.200				
		कुल आवंटन	546.300	0.000	0.800	0.600	0.150	0.675	0.000	0.000	6.100	554.625				
	अतिरिक्त आवंटन का योग		39.540	0.000	3.290	2.850	0.100	0.375	0.000	1.800	1.250	49.205				

नोट: 1. वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये स्तिरे से बिजलीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

आवंटित राशि— रुपये उनचास लाख बीस हजार पाँच सौ मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(इयाम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव